न्यायालय–जिलाधिकारी, सहरसा।

आपूर्ति अपीलवाद संख्या – 11/2013
अशोक कुमार साह बनाम राज्य

आदेश

04.3.2015

प्रशासनिक व्यस्तता के कारण विलंब से आदेश पारित किया जा रहा है।

प्रस्तुत अपील अपीलार्थी अशोक कुमार साह, जन वितरण प्रणाली विक्रेता, महिषी द्वारा अनुमण्डल पदाधिकारी–सह–अनुज्ञापन पदाधिकारी, सदर, सहरसा के ज्ञापांक – 1044 दिनांक 20.07.2013 के द्वारा अपीलार्थी के जन वितरण प्रणाली अनुज्ञप्ति को रद्ध किये जाने संबंधी पारित आदेश के विरुद्ध दाखिल किया गया है।

अपीलार्थी का कहना है कि अपीलार्थी मजदूर सहयोग समिति, महिसरहो के सचिव है तथा उन्हें जन वितरण प्रणाली दूकान की अनुज्ञप्ति प्राप्त है। अपीलार्थी के नाम जो भी सामग्री का आवंटन होता था, उसका उठाव कर निर्धारित दर पर उपभोक्ताओं के बीच वितरण करते रहे हैं। उपेन्द्र पासवान ने भी जन वितरण प्रणाली दूकान की अनुज्ञप्ति के लिए आवेदन दिया था, जो लम्बित है और इस तरह उपेन्द्र पासवान कुछ लोगों का हस्ताक्षर एवं अंगूठे का निशान लेकर शिकायत पत्र दाखिल किया, जसकी जाँच प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी, महिषी द्वारा अपीलार्थी को बिना कोई सूचना दिये किया गया। प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी ने उपेन्द्र पासवान से सांठ–गांठ कर जाँच प्रतिवेदन अनुमण्डल पदाधिकारी, सदर, सहरसा को समर्पित किया, जिस पर अनुमंडल पदाधिकारी, सदर, सहरसा के ज्ञापांक – 549 दिनांक 16.05.2013 द्वारा अपीलार्थी से कारण–पृच्छा की मांग की गयी। अपीलार्थी ने उनके विरुद्ध लगाये गये आरोपों से इन्कार करते हुए अपना कारण पृच्छा समर्पित किया, जिसमें अपीलार्थी ने कहा कि मार्च, 2013 का खाद्यान्न का उठाव किया गया है तथा अप्रील एवं मई, 2013 के खाद्यान्न का पे–इन–स्लिप जमा कर चुके है तथा कारण पृच्छा की मांग की गयी। अनुमंडल पदाधिकारी, सदर, सहरसा ज्ञापांक – 666 दिनांक 28.05.2013 के अनुपालन में अपीलार्थी ने द्वितीय कारण–पृच्छा समर्पित कर कहा कि अनुज्ञप्ति के लिए उपेन्द्र पासवान ने भी आवेदन दिया था तथा उपेन्द्र पासवान ने जो किरासन तेल प्राप्त किया था, उसका कूपन भी प्रथम कारण पृच्छा के साथ संलग्न किया जा चुका है। उपेन्द्र पासवान ने कुछ उपभोक्ताओं का हस्ताक्षर एवं अंगूठे का निशान प्राप्त कर अपीलार्थी के विरुद्ध आरोप लगाया, ताकि अपीलार्थी का अनुज्ञप्ति रद्ध हो सके तथा उन्हें अनुज्ञप्ति प्राप्त हो जाए। अपीलार्थी का यह भी कहना है कि अपीलार्थी के कारण–पृच्छा को असंतोषप्रद बतलाने का कोई कारण भी अनुमण्डल पदाधिकारी, सदर के आदेश में नहीं दिया गया, जबकि अपीलार्थी दिनांक 28.07.2013 से 24.09.2013 तक जाउन्डीस से पीड़ित थे तथा उन्हें पूर्ण आराम करने का चिकित्सक ने सलाह दिया था।

इस तरह अनुमण्डल पदाधिकारी–सह–अनुज्ञापन पदाधिकारी, सदर, सहरसा के द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध अपील दाखिल कर अपीलार्थी ने अनुमण्डल पदाधिकारी, सदर, सहरसा के ज्ञापांक – 1044 दिनांक 24.07.2013 द्वारा अपीलार्थी की अनुज्ञप्ति संख्या–394/2007 को रद्ध किये जाने संबंधी पारित आदेश को निरस्त करने की याचना की है।

अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता एवं राज्य की ओर से विशेष लोक अभियोजक को सुना। अभिलेख के साथ संलग्न कागजातों तथा निम्न न्यायालय अभिलेख का अवलोकन किया।

प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी, महिषी द्वारा दिनांक 27.04.2013 को अपीलार्थी की दूकान की जाँच की गयी थी। दूकान का बोर्ड संधारित नहीं था। अपीलार्थी उपस्थित नहीं थे। मार्च, 2013 से अप्रील, 2013 का पे–इन–स्लिप अपीलार्थी द्वारा जमा नहीं किया गया था। विगत तीन महीनों से लाभुकों को न तो खाद्यान्न और न ही किरासन तेल की आपूर्ति की गयी थी। लाभुकों ने जाँच पदाधिकारी के समक्ष अपना बयान भी दिया था। दूकानदार से प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी, महिषी के पत्रांक –58 दिनांक 02.05.2013 द्वारा अपना पक्ष रखने के साथ–साथ वितरण पंजी, स्टॉक पंजी, केशमेमो एवं भुगतानसुदा कूपन जमा करने को कहा गया था।

दिनांक 14.06.2013 को अपीलार्थी द्वारा कारण–पृच्छा समर्पित किया, जिसमें इनके द्वारा बी0पी0एल0, अन्तोदय एवं किरासन तेल भंडार एवं वितरण पंजी की छायाप्रति समर्पित किया। अनुमंडल पदाधिकारी, सदर ने अनुज्ञप्ति रद्ध करने का आदेश ज्ञापांक – 1044/गो० दिनांक 24.07.2013 में यह उल्लेख किया है कि कारण–पृच्छा संतोषप्रद नहीं है, लेकिन किन कारणों से किन बिन्दुओं पर कारण पृच्छा संतोषप्रद नहीं है, इसकी विवेचना नहीं की गई है। ऐसी परिस्थिति में अनुमंडल पदाधिकारी, सदर, सहरसा द्वारा पारित आदेश को तर्कसंगत नहीं माना जा सकता है। उक्त आदेश को खारिज (Dismiss) किया जाता है।

लेखापित।

04.3.2015
जिलाधिकारी,
सहरसा।

04.3.2015
जिलाधिकारी,
सहरसा।

ज्ञापांक 512-2 / जिला विधि, सहरसा, दिनांक– 10 मार्च, 2015 ई. ।
सं४७

प्रतिलिपि– मूल अभिलेख संलग्न करते हुए अनुमण्डल पदाधिकारी, सदर, सहरसा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि– जिला सूचना–विज्ञान अधिकारी, सहरसा को सूचनार्थ एवं जिले के बेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

प्रभारी पदाधिकारी,
जिला विधि शाखा, सहरसा।